



पत्रांक 665 / 7 सी०

दिनांक 27 फरवरी 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषय:

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा जागेश्वर के अन्तर्गत जाख से गणाऊ-दाड़िमी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.980 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं० 11200/2015)

संदर्भ:

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/०६/२१६/२०१५/एफ०सी० दिनांक 16.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग के संबंध में निम्न तीन बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो निम्नवत है:-

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	State Government is requested to submit the reason for delay in submitting reply i.e. after a period of more than 5 year.	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या तैयार कर इस कार्यालय के पत्र सं० 2887/50सी० दिनांक 04 नवम्बर 2016 से आपको प्रेषित की गयी काफी समय तक प्रकरण में विधिवत स्वीकृति न आने के कारण इस कार्यालय द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किये गये तदुपरान्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्र सं० 2766/एफ०पी०/यू०के०/रोड/11200/2015 देहरादून दिनांक 30 जून 2020 द्वारा यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं० 08बी०/यू०सी०पी०/०६/२१६/२०१५/एफ०सी०/११६५ दिनांक 06.09.2018 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग के संबंध में तीन बिन्दुओं पर सूचनाएँ उपलब्ध करायी जानी हैं अब उक्त वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं० 1236/7सी० दिनांक 25 जुलाई 2020, पत्र सं० 717/7सी० दिनांक 15 मार्च 2021, पत्र सं० 1205/7सी० दिनांक 08 जून 2021, पत्र सं० 2626/7सी० दिनांक 22 अक्टूबर 2021, पत्र सं० 2062/7सी० दिनांक 24 अगस्त 2022 एवं पत्र सं० 717/7सी० दिनांक 15.03.2021 द्वारा वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु आपसे अनुरोध किया गया। आपके कार्यालय पत्र सं० 617/12-1 दिनांक 24.08.2022 द्वारा रोड साईड प्लानटेशन योजना एवं

		एन0पी0वी0की जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि अवगत करायी गयी। एन0पी0वी0 की जमा की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि ऑनलाईन सत्यापन में बार-बार सही न पाये जाने के उपरान्त आपके कार्यालय पत्र सं0 1396/12-1 दिनांक 12.09.2023 द्वारा पुनः संसोधित धनराशि की डिमाण्ड उपलब्ध करायी गयी जिसको ऑनलाईन सत्यापन उपरान्त कैम्पा के पक्ष में जमा कर इस कार्यालय के पत्र सं0 2701/7सी0 दिनांक 2 नवम्बर 2023 द्वारा आपको सूचित कर दिया गया तदुपरान्त इस कार्यालय के पत्र सं0 2970/7सी0 दिनांक 05.12.2023 से संकलित सूचना तैयार कर आपको प्रेषित की गयी। इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने में कोई बिलम्ब नहीं किया गया।
2	State Government is requested to ensure that the UA shall deposit the balance NPV amount as per new NPV rate.	बिन्दु सं0 2 की सूचना आपके स्तर से दी जानी है।
3	State Forest Department shall submit status of CA plantation along with their KML file of the proposed CA area.	बिन्दु सं0 3 की सूचना आपके स्तर से दी जानी है।

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

पत्रांक 665 /7सी0

प्रतिलिपि-सहायक अभियन्ता(षष्टम), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तददिनांकित

भवदीय,

10/12-2-24

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

10/12-2-24
अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।